न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
न्याय आपके द्वार कैम्प थोब

मुकदमा नंबर 577 / 2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार,पचपदरा		1. कानाराम पुत्र मनरूपाराम, मोहनराम पुत्र भैराराम, अचलाराम पुत्र किशनाराम वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :- 23.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प थोब मे पेश हुई । प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । इसका पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दौराने गस्त गिरदावरी ग्राम **थोरियो** की **ढाणी** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे। राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ पक्की सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **थोरियो की ढाणी** के ख0न0 कमशः 470/338, 338, 339, 562/341, 462/333, 463/333, 333 रकबा कमश 18.16, 15.15, 0.15, 1.17, 5.04, 0.18, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, जिसकी पालना मे विप्रार्थीगण के द्वारा जबाब पेश किया गया एवं पुनः जांच हेतु निवेदन किया इसके सम्बन्ध मे उपतहसीलदार कल्याणपुर द्वारा रिपोर्ट चाही गयी । उपतहसीलदार जसोल द्वारा 22.05.2018 को मौका देखा गया एवं

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलना बताया एवं न्यायालय मे उसके फर्द मौका प्रस्तुत की गयी।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नही की है। पटवारी हल्का मौजा **थोरियो की ढाणी** संलग्न परिशिष्ट ब मे अंकित नक्शे मे ए से बी, बी से सी, बी से डी बिन्दु तक ख0न0 कमश ख0न0 कमश 470/338, 338, 339, 562/341, 462/333, 463/333, 333 रकबा कमश 18.16, 15.15, 0.15, 1.17, 5.04, 0.18 बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी में रखत हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। अन्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एव संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गैर रास्ता दर्ज किया जावें।

अत: प्रार्थना **थोरियो की ढाणी** में अवस्थित ख0न0 कमश: ख0न0 क्रमशः 470/338, 338, 339, 562/341, 462/333, 463/333, 333 रकबा कमश 18.16, 15.15, 0.15, 1.17, 5.04, 0.18 बीघा के बिन्दु अ से ब, ब से स, स से द, द से य बिन्दु तक में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु अ से ब, ब से स, स से द व स से य बिन्दु तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक को 23.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प थोब में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner